

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल -462004**

क्रमांक/सम/उत्पा/रजि./तेप/बीड़ी/52/010/ 466

भोपाल, दिनांक 1/2/240

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक/पदेन वन संरक्षक,
(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश .

विषय :- तेन्दूपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में ।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र0/सम/उत्पा/रजि/तेप/बीड़ी/122/88 दिनांक 7.1.2010

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । उक्त पत्र द्वारा आपको सूचित किया गया था कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26/02/2002/10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन करते हुए " बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किये गये है । उक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति इस कार्यालय के पत्र पृ0 क्र0/एफ/05/सम/उत्पा/1996/3/26/तेप/अधि./संशोधन/338 दिनांक 24.01.2009 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय) म0 प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित की जा चुकी है । इसके पश्चात् भी क्षेत्रीय वन मण्डलों के द्वारा नई शब्दावली का उपयोग नहीं करते हुये पूर्व की भौति बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक के रूप में ही प्रारूप "ज" में ही रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है, जो कि वैधानिक रूप से सही नहीं है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तेन्दूपत्ता व्यापारियों के पंजीयन के संबंध में शासन निर्देशानुसार संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावें एवं शासन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जावें ।

Dsh

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

o/c

म0प्र0 भोपाल

..2..


पृ0क्रमांक/सम/उत्पा/रजि./तेप/बीड़ी/52/010/ 1167


भोपाल, दिनांक 1/2/2010

प्रतिलिपि :-

1/ प्रबंध संचालक, म0 प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ मर्या0 भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र पृ0 क्र0/338 दिनांक 24.01.2009 एवं पत्र पृ0 क्र0/89 दिनांक 7.1.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

2/ समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/उत्पादन) मध्यप्रदेश की ओर इस कार्यालय के पत्र पृ0 क्र0/सम/उत्पा/रजि./तेप/बीड़ी/122/89 दिनांक 7.1.2010 के संदर्भ में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि म0 प्र0 शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-26/02/2002/ 10-3 दिनांक 06 जनवरी 2009 के द्वारा म0 प्र0 तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन नियमावली) 1966 के नियम क्रमांक 8(2) में संशोधन अनुसार " बीड़ियों के निर्माता और तेन्दूपत्ता के निर्यातक" के स्थान पर शब्द "विनिर्माता और व्यापारी" स्थापित किया जावे एवं आपके द्वारा त्रुटिपूर्ण जारी किये गये प्रमाण पत्र निरस्त करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र जारी किये जावें, अन्यथा शासन निर्देशों की अवहेलना के संबंध में आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

o/c.

1.2.10